छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

30 OCT 2013

क्रमांक एफ 4–99/सात–1/2012 रायपुर, दिनांक अक्टूबर, 2013

प्रति,

कलेक्टर,
जिला रायगढ़
छत्तीसगढ़

विषयः– भू–राजस्व संहिता में संशोधन के फलस्वरूप डायवर्सन प्रकरण के निपटारा हेतु मार्गदर्शन बावत ।

संदर्भः– आपका अर्द्ध शास.पत्र क्रमांक 1552 दिनांक 17.10.2013 एवं इस विभाग का पृष्ठा.पत्र क्रमांक एफ 4–99/सात–1/2012 दिनांक 01.10.2013

———

संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 172 में दिनांक 19.8.2013 को निम्नानुसार संशोधन किया गया हैः–

यदि कृषि भूमि विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में स्थित है, और कोई व्यक्ति ऐसी भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे व्यपवर्तन हेतु केवल सूचना देना पर्याप्त होगा । किसी प्रकार की अनुमति की पृथक से आवश्यकता नहीं होगी ।

उपरोक्तानुसार सूचना प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी का दायित्व होगा कि वह औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का निर्धारण करे। सूचना देने के पश्चात्, सूचनादाता का कोई दायित्व शेष नहीं रह जाता ।

यदि भूमि विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित है तो विकास योजना में अंगीकृत उपयोग के अनुसार भूमि का व्यपवर्तन करने पर भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

उक्त संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4–99/सात–1/2012 दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किए गये हैं। कृपया तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

(पी.निहालानी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 4–99/सात–1/2012 रायपुर, दिनांक अक्टूबर, 2013

30 OCT 2013

प्रतिलिपिः–

समस्त कलेक्टर जिला.....की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(337)

छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–99/सात–1/2012 रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

07 OCT 2013

प्रति,

कलेक्टर,
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

विषयः–छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन)अधिनियम, 2013 राजपत्र प्रकाशित दिनांक 19.8.2013 के अनुसार संहिता की धारा 59(2) में संशोधन के संबंध में मार्गदर्शन बावत ।

संदर्भः–आपका ज्ञापन क्रमांक 159/अ.भू.अ./परि.भूमि/2013 दि.26.9.13

———

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

1/ कृषि भूमि का निर्धारण बन्दोवस्त के समय होता है। कृषि भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने पर संहिता की धारा 59 के अंतर्गत निर्धारण की आवश्यकता होती है।

2/ गत बंदोवस्त के बाद कृषि भूमि का निर्धारण नहीं किया गया है और न ही वर्तमान में ऐसी कोई योजना है।

3/ अतः कृषि भूमि का व्यपवर्तन होने पर ही निर्धारण की आवश्यकता होगी।

4/ कृषि भूमि के व्यपवर्तन हेतु संहिता की धारा 172 में ''अनुविभागीय अधिकारी'' के स्थान पर शब्द '' सक्षम प्राधिकारी '' प्रतिस्थापित किया गया है तथा व्यपवर्तन के विभिन्न प्रयोजनों हेतु सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किये गये हैं ।

5/ संहिता की धारा 59 में भी ''अनुविभागीय अधिकारी '' के स्थान पर शब्द '' सक्षम प्राधिकारी '' प्रतिस्थापित किया गया है।

6/ चूंकि कृषि भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप ही पुर्ननिर्धारण का प्रश्न उपस्थित होगा, अतः संहिता की धारा 172 के अंतर्गत अधिसूचित 'सक्षम प्राधिकारी' संहिता की धारा 59 के प्रयोजन हेतु 'सक्षम प्राधिकारी' होंगे ।

7/ पूर्व में व्यपवर्तन हेतु राज्य शासन की अधिकारिता के आवेदन पत्र प्राप्त कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया था । संहिता की धारा 172 में संशोधन के फलस्वरूप अब विकास योजना के बाहर औद्योगिक व्यपवर्तन हेतु आवेदक द्वारा मात्र सूचना दिये जाने का प्रावधान है। ऐसी सूचना प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाता है।

8/ राज्य शासन की अधिकारिता की ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर निर्धारण के प्रस्ताव राज्य शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करेंगे ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

1.X.13

(पी.निहालानी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग